

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार

वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना

पटना, दिनांक

विषय- मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय, मोतिहारी के परिसर में Annual Maintenance के साथ कैंपस लाईट की व्यवस्था, कम्प्यूटर प्रयोगशाला में विद्युत वायरिंग एवं पैनल/केबुल का अधिष्ठापन/जीर्णोद्धार संबंधित कार्यों के लिए कुल रू. 2,51,56,800=00 (दो करोड़ इक्यावन लाख छप्पन हजार आठ सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

राज्य सरकार ने भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1167, दिनांक 29.08.2019 के माध्यम से उपलब्ध कराये गए मुख्य विद्युत अभियंता, भवन निर्माण विभाग द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय, मोतिहारी के परिसर में Annual Maintenance के साथ कैंपस लाईट की व्यवस्था, कम्प्यूटर प्रयोगशाला में विद्युत वायरिंग एवं पैनल/केबुल का अधिष्ठापन/जीर्णोद्धार संबंधित कार्यों के लिए कुल रू. 2,51,56,800=00 (दो करोड़ इक्यावन लाख छप्पन हजार आठ सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत प्रदान की है-

क्रम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (रूपये में)
1	Estmate for illumination in Premises	1,65,36,085
2	Estmate for Electrical installation in computer Lab	42,12,510
3	Re-organised/furnished existing main electric panel & cable	6,91,685
4	Annual maintenance of illumination in premises	37,16,520
	कुल	2,51,56,800

- उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2019-20 के राज्य स्कीम बजट के 'मुख्यशीर्ष- 4059 -लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष -80-सामान्य, लघुशीर्ष-051-निर्माण, मांग संख्या-3, उपशीर्ष-0117- इंजीनियरिंग/ तकनीकी महाविद्यालय और संस्थाओं के लिए भवनें (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)' के अधीन 53 01 मुख्य निर्माण कार्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड 03-4059800510117 है।
- स्वीकृत राशि का आवंटन, सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा विद्युत कार्य प्रमंडल, मोतिहारी को प्रदान किया जायेगा।
- उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निर्गत आवंटन के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत/विनिर्दिष्ट विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, मोतिहारी होंगे।
- उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निर्गत आवंटन की सीमा तक राशि की निकासी नियमानुसार कोषागार, मोतिहारी से की जायेगी।
- उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 3758 वि., दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है। सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन इसी संचिका के पृ. 48/टि. पर प्राप्त है।
8. तकनीकी अनुमोदन के अनुरूप अक्षरशः कार्य सम्पादित कराने की संयुक्त जिम्मेवारी संस्थान के प्राचार्य तथा संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता की होगी।
9. वित्त विभाग के पत्रांक- 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजनान्तर्गत राशि की निकासी के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./ -

(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव
/पटना, दिनांक-

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा.(III) यो. -22/2016-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव
/पटना, दिनांक-

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा.(III) यो. -22/2016-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव
/पटना, दिनांक-

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा.(III) यो. -22/2016-

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/मुख्य विद्युत अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव
/पटना, दिनांक-

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा.(III) यो. -22/2016-

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव
/पटना, दिनांक-

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा.(III) यो. -22/2016-

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव
/पटना, दिनांक-

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा.(III) यो. -22/2016-

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त निदेशक (एम)/ बजट सहायक/ आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव